न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा जिला

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज रामपाल बनाम राज्य सरकार पत्र
13.6.25	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप० का आदेश अनुसार पत्रावली दिनांक 16.6.25 को पेश हो
16.06.25	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप० अनुपस्थित बाद तामिल उप० नहीं। अतः इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। प्रार्थी का जाब पत्र अ० धारा 128 L.R Act में खारिज किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली पेश सख्त शुमार होकर बाद तकमिल शामिल दफ्तर हो